

# संविदा की सामान्य शर्तें – परामर्श



गैल (इंडिया) लिमिटेड

### अनुच्छेद 3.1 परिभाषा एवं व्याख्या

इस दस्तावेज में इसके अंतर्गत परिभाषित निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का एतद्वारा दिया गया अर्थ होगा सिवाय संदर्भ अन्यथा होने पर:

**करार** का अर्थ है निविदा दस्तावेज के अनुसार सेवाओं के लिए गेल तथा परामर्शदाता के बीच गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर निष्पादित करार।

**गेल/मालिक** का अर्थ होगा गेल (इंडिया) लिमिटेड।

**गेल के प्रतिनिधि** का अर्थ है संविदा के निष्पादन के लिए गेल द्वारा समय-समय पर नियुक्त अथवा प्राधिकृत व्यक्ति।

**परामर्शदाता के प्रतिनिधि** का अर्थ है संविदा के निष्पादन के लिए परामर्शदाता द्वारा समय-समय नियुक्त व्यक्ति।

**प्रभारी अभियंता/प्रभारी एक्जीक्यूटिव** का अर्थ गेल द्वारा समय-समय पर नामोदृष्ट व्यक्ति होगा और इसमें इस संविदा के प्राचालन के लिए, उसकी और से और उसके लिए स्पष्टतापूर्वक प्राधिकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे।

**हस्ताक्षरित** का अर्थ है गेल द्वारा इस दस्तावेज में यथा संकल्पित और स्वीकृत परामर्शदाता द्वारा कोई मुख्य काम पूरा करने के लिए दर्ज विवरण।

**संविदा** का अर्थ स्वीकार्यता पत्र, सभी संलग्न दस्तावेज और उसमें संदर्भित सभी दस्तावेज एवं तत्संबंधी सभी शर्तें एवं निबंधन व तत्संबंधी उत्तरवर्ती कोई भी आशोधन होगा।

**सेवाओं** का अर्थ है संविदा की शर्तों एवं निबंधन के अनुसार परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा निष्पादित किए जाने वाले दायित्व।

**शीर्षक** : इसमें आने वाले शीर्षक केवल सुविधा के प्रयोजनार्थ है और संविदा की व्याख्या तथा गठन में इन पर विचार नहीं किया जाएगा।

**एकवचन और बहुवचन शब्द**: संदर्भ के अनुसार एकवचन में बहुवचन तथा बहुवचन में एकवचन शामिल है।

### अनुच्छेद 3.2 : परामर्शदाता द्वारा दायित्वों और सेवाओं का निष्पादन

3.2.1 परामर्शदाता संविदा की शर्तों एवम् निबंधनों तथा लागू किन्हीं भी स्थानीय विधियों तथा विनियमों के अनुसार अपनी सेवाएं निष्पादित करेगा तथा उपर्युक्त परियोजना कार्य के निर्वहन में सभी उपयुक्त व्यावसायिक दक्षता, परिचर्या और लगन का प्रयोग करेगा। परामर्शदाता सभी व्यावसायिक मामलों में गेल के विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और ऐसी सारी विशेषज्ञ वाणिज्यिक/तकनीकी सलाह प्रदान करेगा जो सामान्यतः उस सेवा की श्रेणी के लिए अपेक्षित है जिसके लिए इसे लगाया गया है।

परामर्शदाता, इसका स्टाफ, कर्मचारी सर्वोत्तम व्यावसायिक आचरण के अनुरूप अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

परामर्शदाता निविदा की शर्तों के अनुरूप और देय समय में दस्तावेज/रिपोर्टें आदि तैयार और प्रस्तुत करेगा।

3.2.2 परामर्शदाता कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होने हेतु यथा निर्धारित संविदा, कार्मिक के निष्पादन को कायम रखेगा और ऐसा व्यक्ति गेल के लिखित अनुमोदन के बगैर प्रतिस्थापित अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 3.3 : गेल का प्रतिनिधि

3.3.1 गेल अपने प्रतिनिधि(यों) नामित करेगा जो गेल की ओर से किसी भी निर्णय के संबंध में वह सभी कार्य करने हेतु पात्र होंगे जो करने के लिए इसे अधिकार प्राप्त है। परामर्शदाता के बिल/बीजक को भुगतान हेतु ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

### अनुच्छेद 3.4 : परामर्शदाता के प्रतिनिधि

3.4.1 परामर्शदाता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी ऐसे अर्हक और अनुभवी व्यक्ति को नामित करेगा, जो संविदा के निष्पादन के लिए गेल और परामर्शदाता के बीच संपर्क व्यक्ति होगा। संविदा लागू होने के 10 दिनों के उपरांत यह नामांकन किया जाएगा। परामर्शदाता गेल को नए प्रतिनिधि की नियुक्ति से पूर्व लिखित में सूचना देगा। परामर्शदाता के प्रतिनिधि को गेल से उसके जीवनवृत्त को अनुमोदित करवाने के उपरांत ही गेल की सहमति से बदला जा सकता है।

गेल को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी नामांकन पर आपत्ति जता सकता है और बेहतर कारणों के लिए परामर्शदाता के प्रतिनिधियों को हटाने के लिए परामर्शदाता से कह सकता है। परामर्शदाता तत्काल ऐसे व्यक्ति को सक्षम विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करेगा और गेल को इसके लिए अतिरिक्त लागत नहीं देनी पड़ेगी।

3.4.2 परामर्शदाता का प्रतिनिधि इस संविदा के अंतर्गत किए गए किसी भी निर्णय के संबंध में परामर्शदाता की ओर से फार्म भरने हेतु पात्र होगा।

### अनुच्छेद 3.5 : भुगतान संबंधी शर्तें

3.5.1 गेल निविदा में नियमों के अनुसार प्रदत्त सेवाओं के लिए ही ई-बैंकिंग (आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक के जरिए) के जरिए भुगतान करेगा। परामर्शदाता के बैंक संबंधी सभी प्रभार परामर्शदाता के खाते में जाएंगे।

3.5.2 परामर्शदाता गेल को निविदा में उपबंधित शर्तों और निबंधनों के अनुरूप बीजक देगा।

3.5.3 भुगतान संबंधी शर्तें निम्नलिखित होंगी:

3.5.3.1 रिपोर्टें तैयार करने हेतु सभी परामर्शी कार्यों के लिए भुगतान संबंधी शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

- प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत एवं स्वीकार 60 प्रतिशत

जहां आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी वहां भुगतान की धनराशि 60 प्रतिशत किए गए कार्य के आधार पर निर्मुक्त की जाएगी जैसे बाजार के सर्वेक्षण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि। ऐसे कार्य के लिए भुगतान की राशि 60 प्रतिशत की सीमा के अंदर 40 प्रतिशत के अध्यक्षीन आउटसोर्स की गई एजेंसियों को किए गए वास्तविक भुगतान तक सीमित होगी।

- अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर 40 प्रतिशत।

जहां ईएमपी/ईआईए/आरआरए शामिल हैं वहां 40 प्रतिशत भुगतान को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा:-

- अंतिम डीएफआर/रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर 40 प्रतिशत।

- ईएमपी/ईआईए/आरआरए प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर 40 प्रतिशत।

यदि स्वीकार्यता की सूचना 30 दिनों के भीतर नहीं दी जाएगी तो इसे स्वीकार किया मान लिया जाएगा।

3.5.3.2 अधिग्रहण / देय परामर्शी मामलों के लिए: भुगतान संबंधी शर्तें निम्नानुसार होंगी:

**डिस्क्लेमर:** अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

**Disclaimer:** In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

## चरण

## भुगतान (एकमुश्त मूल्य की प्रतिशतता)

क) प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर	40 प्रतिशत
ख) गेल द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर	20 प्रतिशत
ग) बोली तैयार करने और प्रस्तुत करने पर	15 प्रतिशत
घ) समझौता होने, कार्य को अंतिम रूप दिए जाने और कार्य निष्पादित करने पर	25 प्रतिशत

यदि स्वीकार्यता की सूचना 30 दिनों के भीतर नहीं दी जाएगी तो इसे स्वीकार किया मान लिया जाएगा।

गेल के पास पूर्ववर्ती चरण के पूरा होने पर, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, और चरण पूरा होने से संबंधी सभी प्रदेय प्रस्तुत करने पर संविदा के अगले चरण पर हस्ताक्षर करने अथवा इसको समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे मामले में परामर्शदाता को दिए जाने वाला भुगतान ऊपर यथानिर्दिष्ट पूरे किए गए चरण हेतु देय भुगतान तक सीमित होगा।

### 3.5.3.3 पीएमसी कार्य/परियोजना गुणवत्ता परामर्शदाताओं के लिए : भुगतान संबंधी शर्तें निम्नानुसार होंगी:

- 15 दिनों के बीजक के आधार पर प्रगामी रूप से कार्यक्षेत्र में यथा अभिज्ञात परियोजना के प्रत्येक कार्यकलाप हेतु कार्य पूरा होने पर 95 प्रतिशत
- कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाने पर परियोजना बंद करने के उपरांत 5 प्रतिशत

### 3.5.3.4 परियोजना मॉनिटरिंग तथा तृतीय पक्षकार द्वारा निरीक्षण सेवाओं के लिए बैकअप परामर्शदाता हेतु भुगतान श्रम दिवस की दर पर आधारित होगा।

### 3.5.4 बीजक से संबंधित किसी भी समाधान के मामले में वे इनकी प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर इन्हें परामर्शदाताओं को इन्हें निरस्त करने संबंधी कारण लिखित में विनिर्दिष्ट करते हुए वापस लौटा देगा

- गेल इसके अनुच्छेद 3.5.3 के अनुसार बीजक की अविवादित धनराशि का भुगतान करेगा।
- यदि कोई विवादित धनराशि होगी तो इसका भुगतान गेल और परामर्शदाता के बीच परस्पर समाधान के उपरांत किया जाएगा।
- बीजक को पूर्णताया अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने से परामर्शदाता इस संविदा के अंतर्गत अपनी किसी भी देयता से मुक्त नहीं होगा।

## अनुच्छेद 3.6: निष्पादन प्रतिभूति

### 3.6.1 परामर्शदाता किसी भी भारतीय अनुसूचित बैंक अथवा भारत में स्थित और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिसूचित विदेशी बैंक के रूप में पंजीकृत किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक की शाखा से बिना शर्त, अप्रतिसंहणीय और पहली मांग प्रतिभूति गेल को प्रस्तुत करेगा। तथापि, राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों के अलावा जिन बैंकों के बीजी प्रस्तुत हो गए हैं वे ऐसे वाणिज्यक बैंक होने चाहिए, जिनकी निवल मूल्य 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और ऐसे वाणिज्यक बैंक द्वारा बैंक गारंटी में ही अथवा अलग से पत्र-शीर्ष पर इस आशय की घोषणा दी जानी चाहिए।

संविदा निष्पादन प्रतिभूति का मूल्य संविदा के देय निष्पादन के 5 प्रतिशत संविदा मूल्य तक होगा। संविदा निष्पादन प्रतिभूति संविदा की प्रतिभूति / वारंटी की अवधि के उपरांत 3 माह की अवधि तक वैद्य रहेगी। निष्पादन प्रतिभूति का प्रपत्र निविदा दस्तावेज़ के साथ संलग्न है। ऐसी प्रतिभूति प्राप्त करने में हुए सारे खर्चों का वहन परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा।

### 3.6.2.1 संपूर्णता अवधि में विस्तार के मामले में परामर्शदाता को संविदात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप यथोचित समयावधि के लिए निष्पादन गारंटी बढ़ानी पड़ेगी।

**डिस्क्लेमर:** अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

**Disclaimer:** In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

### अनुच्छेद 3.7 गोपनीयता

- 3.7.1 परामर्शदाता/गेल संविदा से संबंधित सभी मामलों को पूर्णतया गोपनीय मानेगा और इन्हें किसी भी रूप में सूचना, दस्तावेज, तकनीकी डाटा और गेल / परामर्शदाता द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं अनुभव के जरिए गेल / परामर्शदाता की पूरी लिखित सहमति के बगैर प्रदर्शित नहीं करेगा।
- 3.7.2 परामर्शदाता यह भी प्रतिज्ञा लेगा की गोपनीय सूचना की उपलब्धता इसके कर्मचारियों, क्रियान्वयन करने वाले ऐसे साझेदारों तक ही सीमित होगी जिन्हें संविदा के समुचित निष्पादन के लिए इसकी अत्यधिक जरूरत होगी बशर्ते कि परामर्शदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें से प्रत्येक को यह बता दिया गया है कि इन सूचनाओं की प्रकृति गोपनीय है और इन्हें प्रकट नहीं किया जाना है।

### अनुच्छेद 3.8: कर और शुल्क

- 3.8.1 परामर्शदाता द्वारा सेवा कर, शुल्क, ऐसे सभी प्रभारों सहित सभी और किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाएगा जो संविदा के निष्पादन के संबंध में देय हैं। उद्धृत मूल्यों में ऐसे सभी कर और शुल्क शामिल होंगे।
- 3.8.2 संविदात्मक संपूर्ण अवधि में किसी भी प्रकार के करों (सीएसटी, एलएसटी, डब्ल्यूसीटी, विदहोलिंडिंग कर, सेवा कर आदि) अथवा शुल्कों में सांविदिक परिवर्तन का वहन गेल द्वारा किया जाएगा। सांविदिक दरों और शुल्कों के अलावा करों एवं शुल्कों में अन्य किसी प्रवर्तन हेतु भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 3.8.3 परामर्शदाता उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर का गेल से दावा नहीं करेगा।
- 3.8.4 गेल लागू दरों पर स्रोत पर आयकर कटौती करेगा।

### अनुच्छेद 3.9: विवादों का निपटारा / माध्यस्थम

- 3.9.1 गेल और परामर्शदाता संविदा के अंतर्गत अथवा इसके संबंध में उनके बीच पैदा हुए किसी भी असहमति अथवा विवाद का प्रत्यक्ष औपचारिक वार्ता द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।
- 3.9.2 पक्षकारों के बीच ऐसे सभी विवादों, आपत्तियों अथवा दावों (सिवाय ऐसे मामलों के जहां कार्यकारी/प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है), जिनका उपयुक्त समय के अंदर परस्पर रूप से समाधान नहीं हो सकता है, को मुख्य माध्यस्थम द्वारा मध्यस्थता हेतु रेफर किया जाएगा।

गेल तीन स्वतंत्र और अन्य पार्टी (परामर्शदाता) के विशिष्ट व्यक्तियों के पैनल का सुझाव देगा जिनमें से एक का चयन एकमात्र माध्यस्थम के रूप में कार्य करने हेतु किया जाएगा।

अन्य पक्षकार द्वारा माध्यस्थम के पैनल का सुझाव देने संबंधी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एकमात्र माध्यस्थम का चुनाव नहीं किए जाने पर अन्य पक्षकार द्वारा एकमात्र माध्यस्थम के चयन का अधिकार खत्म हो जाएगा और गेल के पास एकमात्र माध्यस्थम की नियुक्ति के संबंध में विवेकानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा। एकमात्र माध्यस्थम नियुक्त करने के संबंध में गेल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एकमात्र माध्यस्थम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और एकमात्र माध्यस्थम द्वारा जब तक अन्यथा दिशा-निर्देश/निर्णय न दिया जाए, मुकदमें की कार्यवाही की लागत का पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। माध्यस्थम की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और इसका स्थान नई दिल्ली, भारत होगा।

उपर्युक्त के अध्यक्षीन (भारतीय) माध्यस्थम एवं समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधान तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होंगे। इस संविदा से संबंधित सभी मामले दिल्ली (भारत) राज्य में स्थित न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अध्यक्षीन है।

3.9.3 परामर्शदाता कृपया यह नोट करें कि माध्यस्थम एवं समाधान अधिनियम, 1996 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएल मॉडल विधि) पर आधारित है, जिसे माध्यस्थम संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यक माध्यस्थम केंद्रों के साथ गहन विचार-विमर्श करके तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र कि आम सभा ने संकल्प 31/98 के तहत दिसंबर 1976 को यूएनसीआईटीआरएल माध्यस्थम नियमों को अंगीकार किया।

### अनुच्छेद 3.10 विधिक निर्माण

3.10.1 इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अध्यक्षीन यह संविदा सभी पहलुओं में भारतीय संविदा और तत्समय लागू भारतीय विधियों के अनुरूप विनिर्मित और प्रचालित है और यह नई दिल्ली स्थिति विधि न्यायालय को रेफर किए जाने के अध्यक्षीन है।

### अनुच्छेद 3.11 दायित्व और सेवाओं के निष्पादन को निलंबित करना

3.11.1 गेल किसी भी समय परामर्शदाताओं की सेवाओं के निष्पादन को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर निलंबित कर सकता है।

3.11.2 निलंबन का नोटिस मिलने पर परामर्शदाता सेवाओं को तत्काल रोक देगा और दोनों पक्षकारों द्वारा सम्मत न्यूनतम स्तर तक व्यय में कमी लाएगा।

3.11.3 सेवाओं के निष्पादन के निलंबन पर परामर्शदाता उन लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा जो ऐसे निलंबन की तारीख से पहले उसके द्वारा वास्तविक रूप से लगाई गई हो। तथापि, कुल प्रतिपूर्ति संविदा के मूल्य तक सीमित होगी।

3.11.4 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर गेल परामर्शदाता से यह अनुरोध कर सकता है कि वह सेवाओं का निष्पादन पुनः प्रारंभ करे परंतु इसके लिए गेल किसी भी अतिरिक्त लागत का व्यय नहीं करेगा।

3.11.5 गेल के अनुरोध पर परामर्शदाता द्वारा 10 दिनों से ज्यादा काम रोकने पर परामर्शदाता को दर अनुसूची के अनुसार डी-मोबिलाइजेशन और रि-मोबिलाइजेशन प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

3.11.6 यदि 6 महीनों से ज्यादा तक कार्य और सेवाएं लंबित रहती हैं तो कोई भी पक्षकार इस निविदा के अनुच्छेद 3.16 के अनुसार इस निविदा को समाप्त करने हेतु पात्र होगा।

### अनुच्छेद 3.12: मूल्य कटौती अनुसूची (पीआरएस)

3.12.1 यदि परामर्शदाता निर्धारित अवधि के भीतर सेवाएं पूरी करने में असफल रहता है, तो जब तक ऐसी विफलता का कारण इसमें अनुच्छेद 3.19 में यथापरिभाषित अप्रत्याशित घटना न हो अथवा यह गेल की गलती की वजह से न हो, तो विलंब अथवा उसके भाग के प्रत्येक सप्ताह के लिए 1/2 प्रतिशत की दर से संविदा मूल्य में कटौती की जाएगी जो संविदा मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत के अध्यक्षीन होंगी।

3.12.2 गेल वसूली की किन्हीं भी पद्धतियों के प्रति भेद-भाव किए बगैर किसी भी देय राशि में से अथवा संविदा के अंतर्गत परामर्शदाता की देयतों और दायित्वों से इसकी ओर किसी भी समय देय होने वाली धनराशि में से अथवा निष्पादन बैंक प्रतिभूति में से वसूली द्वारा ऐसे पीआरएस की धनराशि की कटौती कर सकता है। परामर्शदाता और गेल दोनों सहमत हैं कि मूल्य कटौती की उपर्युक्त प्रतिशतता ऐसी हानि / क्षति के वास्तविक पूर्व अनुमान है जो परामर्शदाता द्वारा विलंब/उल्लंघन करने के कारण गेल को हुई है और उपर्युक्त धनराशि ऐसे उल्लंघन/विलंब द्वारा हुई वास्तविक हानि / अथवा क्षति का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किए बगैर देय होगी। मूल्य कटौती की प्रयोज्यता के मामले में गेल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

### अनुच्छेद 3.13: कार्य सौंपना

परामर्शदाता के पास इस संविदा अथवा इसके किसी भाग से होने वाले लाभ और दायित्वों को गेल की गेल को लिखित में पूर्व अनुमति के बगैर तृतीय पक्षकार को सौंपने अथवा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा, जो यह अपने विवेकानुसार करेगा। तथापि, ऐसी स्थिति में सभी विधिक/संविदात्मक देयता ने केवल परामर्शदाता पर ही बाध्यकारी होंगी।

### अनुच्छेद 3.14: औद्योगिक एवं बौद्धिक संपदा

- 3.14.1 सेवाएं निष्पादित करने के लिए परामर्शदाता को स्वयं अनिवार्य असाइनमेंट, सदृश पेटेंटों के शीर्षधारी से परमिट और प्राधिकार पत्र, मॉडल, ट्रेडमार्क, नाम और अन्य संरक्षित अधिकार अवश्य प्राप्त कर लेने चाहिए और वह गेल को हानिरहित रखेगा तथा गेल को उपयुक्त पेटेंटों, मॉडलों, ट्रेडमार्क के नामों और अन्य संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन की वजह से होने वाले किन्हीं भी दावों, कार्यवाहियों, क्षतियों, लागतों और खर्चों (विधिक लागत सहित परंतु इस तक ही सीमित नहीं) से और इनके प्रति क्षतिपूर्ति करेगा।
- 3.14.2 गेल को प्रस्तुत कार्यक्षेत्र के संबंध में परामर्शदाता द्वारा एकत्रित और तैयार किए गए सभी दस्तावेज, रिपोर्ट, सूचना, डाटा आदि गेल की संपत्ति होगी।
- 3.14.3 परामर्शदाता गेल द्वारा दिए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों का इस्तेमाल किसी भी तृतीय पक्षकारों द्वारा कोई भी सेवा दिए जाने हेतु करने के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से पात्र नहीं होगा।
- 3.14.4 परामर्शदाता गेल की लिखित पूर्वानुमति के बगैर सेवाओं के निष्पादन से जुड़े अथवा संबंधित डाटा अथवा अध्ययन अथवा व्याख्यात्मक निर्देशनात्मक रहित अथवा सहित लेख प्रकाशित करने हेतु पात्र नहीं होगा।

### अनुच्छेद 3.15: देयताएं

- 3.15.1 संविदा में किसी भी व्यक्त प्रावधान के प्रति भेद-भाव किए बगैर परामर्शदाता इस संविदा के अंतर्गत किसी भी विलंब, निष्पादन के अभाव, करार के उल्लंघन और/अथवा किसी भी चूक के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3.15.2 परामर्शदाता संविदा के अनंतिम स्वीकार्यता प्रमाण-पत्र को जारी करने के उपरांत आगामी 12 महीनों तक अपने घोर उपेक्षा की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।
- 3.15.3 देयता की धनराशि संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।

### अनुच्छेद 3.16: संविदा को समाप्त करना

- 3.16.1 चूक होने पर संविदा समाप्त करना।

गेल के पास संविदा के अंतर्गत कोई भी देयता निष्पादित करने में परामर्श द्वारा असफल रहने पर संविदा के उल्लंघन के लिए अन्य समाधान के प्रति कोई भी भेदभाव न रखते हुए और गेल से चूक संबंधी नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों (अथवा ऐसी लंबी अवधि जो गेल द्वारा लिखित में बताई गई हो) की अवधि के भीतर परामर्शदाता द्वारा अपनी असफलता को ठीक नहीं करने पर एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने/लघु समापन करने का अधिकार है।

- 3.16.2 दिवालियापन के कारण संविदा समाप्त करना

गेल किसी भी समय परामर्शदाता को मुआवजे के बगैर लिखित में नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है, यदि परामर्शदाता दिवालिया अथवा अन्यथा दिवालिया बन जाए बशर्ते कि ऐसे समापन से ऐसे किसी भी कार्य अथवा समाधान संबंधी अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा अथवा भेदभाव नहीं किया जाएगा जो इसके उपरांत गेल ने किया हो अथवा करेगा।

### 3.16.3 सुविधा के लिए संविदा समाप्त करना

गेल अपनी सुविधानुसार किसी भी समय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परामर्शदाता को लिखित नोटिस भेज कर संविदा को समाप्त कर सकता है। तथापि, भुगतान उस सीमा तक निर्मुक्त किया जाएगा जिस सीमा तक उस तारीख तक गेल द्वारा यथानिर्धारित निष्पादित कार्य किया गया है जिसको यह समापन प्रभावी हुआ है।

### अनुच्छेद 3.17: संशोधन

संविदा में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्धन तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक इसे दोनों पक्षकों द्वारा लिखित में अथवा सहमति से न बनाया गया हो।

### अनुच्छेद 3.18: करार / संविदा

एलओआई प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर संलग्न प्रपत्र के अनुसार \_\_\_\_\_ के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैप पेपर पर करार के साथ संविदा देने संबंधी सूचना और इसके अनुलग्नक पक्षकों के बीच संविदा बन जाएंगे और इस मामले के विषय के संबंध में पक्षकों के बीच अन्य सभी पूर्व करार, व्यवस्थाएं और संप्रेषण, चाहे मौखिक हो अथवा लिखित, का अधिक्रमण हो जाएगा, स्टैप पेपर की लागत का वहन परामर्शदाता द्वारा किया जाता है।

### अनुच्छेद 3.19: अप्रत्याशित घटना

अप्रत्याशित घटना का निम्नलिखित अर्थ होगा और यह निम्नलिखित तक सीमित होगी:

- क) युद्ध/लड़ाई
- ख) दंगे अथवा गृह युद्ध
- ग) भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना, भारी वर्षा अथवा अन्य कोई प्राकृतिक आपदा
- घ) सरकार अथवा अन्य सरकारी निकाय द्वारा लगाए गए ऐसे प्रतिबंध जिससे परामर्शदाता द्वारा संविदा का निष्पादन बाधित अथवा निलंबित हो।

परामर्शदाता ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं शुरू होने और खत्म होने के 7 दिनों के भीतर विलंब के उपर्युक्त कारणों के शुरू अथवा खत्म होने के संबंध में एक पंजीकृत पत्र द्वारा गेल को सूचना देगा जिसे स्थानीय वाणिज्य संघ अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा। अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से एक माह से ज्यादा तक विलंब जारी रहने की स्थिति में गेल के पास संविदा को निरस्त करने का अधिकार है और अनुच्छेद 3.16 के अंतर्गत उल्लिखित समापन संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से होने वाले विलंब के लिए परामर्शदाता कार्य संपूर्ण करने के लिए समय विस्तार में ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले विलंब की अवधि से अधिक अवधि के लिए दावा नहीं करेगा तथा न तो गेल और न ही परामर्शदाता किसी भी अन्य लागत का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे बशर्ते कि परस्पर रूप से यह स्थापित न हो जाए कि अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से उत्पन्न स्थितियों के कारण वास्तव में ऐसा हुआ था।



परामर्शदाता श्रेणीबद्ध रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपने कार्यों में प्रचलित अप्रत्याशित घटानाओं संबंधी स्थितियों की सीमा को विनिर्दिष्ट करेगा और यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि क्या अपनी कोटेशन में इन पर विचार किया गया है अथवा नहीं। किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर परामर्शदाता और गेल इस आदेश के अंतर्गत अपनी देयताओं का निष्पादन करने में होने वाले विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और परामर्शदाता द्वारा कार्य पूरा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा और विलंब से कार्य पूरा करने के लिए मूल्य में कटौती नहीं कि जाएगी, जैसे कि अन्यत्र बताया गया है।

### अनुच्छेद 3.20: सुधार करने की अवधि

सभी सेवाएं संविदा में निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुरूप ही प्रदान की जाएंगी। गेल की लिखित सहमति के बगैर ऐसी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह सहमति आदेश के अनुरूप कार्य शुरू करने से पहले अवश्य ले लेनी चाहिए। संविदा के अनुसरण में परामर्शदाता द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के संबंध में यह गारंटी है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च गुणवत्तायुक्त होंगी (चाहे इंजीनियरिंग, डिजाइन संबंधी डाटा और अन्य सूचना गेल द्वारा दी गई हो, समीक्षा की गई हो अथवा अनुमोदित की गई हो या नहीं)।

परामर्शदाता अपनी रिपोर्ट स्वीकार करने के 12 महीनों के अंदर अध्ययन में किसी भी डाटा को मानने अथवा गलत डाटा इस्तेमाल करने अथवा गलत अध्ययन करने में हुई किसी भी गलती को अपनी स्वयं की लागत से स्वीकार करेगा और गलतियों को ठीक करने के 30 दिनों के अंदर यथालागू परिवर्तनों को शामिल करते हुए संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

### अनुच्छेद 3.21: उप-संविदा देना

सेवाओं के संबंध में परामर्शदाता द्वारा की गई कोई भी उप-संविदा केवल ऐसी सीमा और ऐसे विधिवत अर्हक विशेषज्ञों तथा संख्याओं के साथ ही की जाएगी जिन्हें गेल द्वारा अग्रिम में लिखित में अनुमोदित किया जाएगा। गेल के अनुरोध पर परामर्शदाता गेल के पूर्वानुमोदन के लिए ऐसे उप-संविदाकार की सेवाओं के लिए संदर्भ शर्तें अथवा तत्संबंधी कोई भी संशोधन प्रस्तुत करेगा। ऐसे अनुमोदन के बावजूद परामर्शदाता संविदा के अंतर्गत सेवाओं के निष्पादन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

### अनुच्छेद 3.22: नोटिस

3.22.1 संविदा के अनुसरण में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया कोई नोटिस लिखित में अथवा टेलीग्राम अथवा फैक्स/केवल द्वारा भेजा जाएगा और इसकी पुष्टि लिखित में की जाएगी।

3.22.2 कोई भी नोटिस प्राप्त होने पर अथवा नोटिस की प्रभावी तारीख, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।

### अनुच्छेद 3.23: डाटा प्राप्त करना

यदि जरूरत होगी तो परामर्शदाता अनिवार्य स्रोत से डाटा लेने तथा किसी भी सर्वेक्षण को करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि परामर्श किसी भी दाता लिखित में गेल से अनुरोध करेगा तो वह केवल अनुशंसित पत्र जारी करके उपर्युक्त डाटा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कार्य को पूरा करने हेतु अपेक्षित सभी आवश्यक स्वीकृतियां, समन्वय, शुल्क, प्रभार आदि तथा स्थानीय विधियों का अनुपालन करना परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

## संविदा करार प्रपत्र

मैसर्स \_\_\_\_\_, इसके उपरांत "परामर्शदाता" कहलाएगा (इस शब्द, जब तक बहिष्कृत न किया जाए अथवा विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत्य भागीदार होंगे) तथा गेल (भारत) लिमिटेड, इसके उपरांत "गेल" कहलाएगा, (इस शब्द, जब तक बहिष्कृत न किया जाए अथवा विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत्य भागीदार होंगे) के बीच दिनांक \_\_\_\_\_, 2003 को " \_\_\_\_\_ " (इसके उपरांत "कार्य" कहलाएगा) हेतु करारा।

जबकि

गेल एलओए में उल्लिखित, रेखांकित अथवा संदर्भित कतिपय कार्य के निष्पादन प्रदान करने का इच्छुक है तथा कार्य की संपूर्ण अनुसूची हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर लिए गए हैं;

(क) परामर्शदाता ने गेल के निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कार्य की जांच कर ली है और उसने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले कार्य की प्रकृति और स्थानीय परिस्थितियों तथा कार्य के परिमाण, कार्य के निष्पादन के लिए आपेक्षित कार्मिक शक्ति तथा सामग्री की उपलब्धता के संबंध में गहनतापूर्वक जांच करके खुद को संतुष्ट कर लिया है और और स्थानीय तथा स्वतंत्र जांचें कर ली हैं तथा एलओ में उल्लिखित अथवा प्रदर्शित मामलों तथा चीजों के संबंध में और उससे जुड़े हुए सभी पक्षों के संबंध में सारी सूचना प्राप्त कर ली है और करार के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य के निष्पादन और संपूर्णता अथवा सभी संभावित एवं स्थिति जन्य संभावित विलंबों, बाधाओं और अड़चनों की प्रकृति तथा सीमाओं पर विचार कर लिया है और कार्य की संपूर्णता पर असर डालने वाले सभी मामलों, स्थितियों और चीजों एवं इससे प्रासंगिक सभी संभाव्य व संभावित आकस्मिकताओं तथा समान्य ऐसे सभी मामलों पर विचार कर लिया है जिन्हें अपना प्रस्ताव तैयार करते समय उन्हें शामिल किया गया है।

(ख) कार्य की संपूर्णता अनुसूची सहित एलओए एवं प्रस्ताव की स्वीकार्यता संबंधी पत्र इस करार के भाग हैं हालांकि ये इसमें अलग से निर्धारित होंगे तथा यथावश्यक प्रयुक्त करार की अभिव्यक्ति में शामिल हैं।

और जबकि

गेल ने निविदा में निर्धारित मूल्यों पर उपर्युक्त कार्य के प्रावधान एवं निष्पादन के लिए परामर्शदाता की बोली स्वीकार कर ली तथा करार की शर्तों एवं निबंधन के अध्यक्षीन गेल द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कर दी है

अब करार में निम्न साक्षी है और इस पर एतद्वारा सहमत होते हुए निम्नानुसार घोषणा की जाती है

1. परामर्शदाता द्वारा निष्पादित कार्य के लिए उसे किए जाने वाले भुगतान पर विचार करते हुए परामर्शदाता गेल के साथ यह प्तिज्ञा करता है कि परामर्शदाता विधिवत यह कार्य प्रदान करेगा, निष्पादित करेगा तथा पूरा करेगा और उपर्युक्त कार्य को पूरा करने के लिए करार में उल्लिखित अथवा वर्णित अथवा पर्याप्त पर रूप आवश्यक अथवा प्रयोज्य अन्य कार्यों तथा चीजों को उपर्युक्त समयावधि और पद्धति से और करार में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों अथवा नियमों के अध्यक्षीन करेगा तथा निष्पादित करेगा।

2. उपर्युक्त कार्य के विधिवत प्रावधान, निष्पादन और संपूर्णता पर विचार करते हुए गेल एतद्वारा इस करार के साथ सहमत है कि गेल परामर्शदाता को इस एलओए में विनिर्दिष्ट धनराशि के अनुसार परामर्शदाता द्वारा वास्तव में निष्पादित एवं गेल द्वारा अनुमोदित कार्य के लिए संबंधित धनराशि का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान इस करार और एलओए में यथा उपबंधित समय और पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

3.

इसके साक्ष्य स्वरूप दोनों व क्षकोरा ने उपर्युक्त लिखित तारीख और वर्ष में इन करारों को निष्पादित किया है।

गेल की ओर से  
तथा के लिए हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

मैसर्स \_\_\_\_\_  
की ओर से तथा  
के लिए हस्ताक्षरित एवं  
प्रदत्त

दिनांक: \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

दो गवाहों की उपस्थिति में

1.

1.

2.

2.